Ministry of Corporate Affairs

Important policy decisions taken and major achievements during the month of April, 2016.

(1) Notifications:-

(i) The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 under Companies Act, 2013 were amended to exempt housing finance companies from filing of documents in XBRL format. (G.S.R. 397(E), dated 04.04.2016).

(ii) This Ministry has amended the Schedule III to the Companies Act, 2013 to prescribe the instructions/format for preparation of financial statements of a company required to comply with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. (G.S.R. 404(E), dated 06.04.2016).

(iii) This Ministry has notified Limited Liability Partnership Amendment Rules, 2016 vide which Form 14 was modified for doing away with the requirement of informing conversion of a Private Limited Company / Unlisted Public Company into a Limited Liability Partnership to the jurisdictional Registrar of Companies. (G.S.R. 418(E), dated 13.04.2016).

(iv) This Ministry has vide notification dated 26.04.2016 amended the notification number G.S.R. 832 (E), dated 03.11.2015, to substitute the words "States of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana" in place of States of Karnataka and Andhra Pradesh". The above notification were issued to enable the Regional Director to discharge the functions conferred upon them by the Companies Act, 2013 or delegated to them by the Central Government under the said Act. (S.O. 1556(E), dated 26.04.2016).

(2) Circulars:-

(i) In view of a number of representations received from stakeholders for allowing waiver of additional fee till platform for MCA-21 system stabilizes, the Ministry has relaxed the additional fee payable on e-forms due for filing by companies between 25.03.2016 to 30.04.2016 as one time waiver of additional fee and it is also clarified to stakeholders that if such due e- forms are filed after 10.05.2016, no such relaxation shall be allowed. (General Circular No. 03/2016, dated 12.04.2016).

(ii) This Ministry has clarified that the amended Accounting Standards shall be applicable for preparation of accounts for accounting periods commencing on or after the date of notification The amended Standards were notified vide notification dated 30.03.2016. (General Circular No. 04/2016, dated 27.04.2016).

सं. आई-27011/2/2016-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

तारीख 25 मई, 2016

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अप्रैल, 2016 के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(क्षितीश कुमार)

भारत सरकार का अवर सचिव

दूरभाषः 2338 4502

संलग्नः उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान कार्मिक अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ई.ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अप्रैल, 2016 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(I) अधिसूचनाएं:-

(i) एक्सबीआरएल प्रपत्र में दस्तावेजों की फाइलिंग से आवास वित्त कंपनियों को छूट देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी (विस्तारणीय व्यापार रिपोर्टिंग भाषा में दस्तावेजों की फाइलिंग और प्ररूप) नियम, 2015 संशोधित किए गए। [सा.का.नि. 397(अ), दिनांक 04.04.2016]

(ii) किसी कंपनी द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए निर्देश/प्रपत्र निर्धारित करते हुए मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची III को संशोधित किया है। [सा.का.नि. 404(अ), दिनांक 06.04.2016]

(iii) इस मंत्रालय ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं जिसके द्वारा किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी को सीमित देयता भागीदारी में परिवर्तित करने की सूचना उसके क्षेत्राधिकार वाले कंपनी रजिस्ट्रार को देने की अपेक्षा हटाते हुए प्ररूप-14 संशोधित किया गया। [सा.का.नि. 418(अ), दिनांक 13.04.2016]

(iv) इस मंत्रालय ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के स्थान पर "कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य" शब्दों को रखने के लिए दिनांक 03.11.2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ), दिनांक 3.11.2015 को दिनांक 26.04.2016 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया है। उपर्युक्त अधिसूचना क्षेत्रीय निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा सौंपे गए या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार देने हेतु जारी की गई थी। [का.आ. 1556(अ), दिनांक 26.04.2016]

2. परिपत्रः

(i) एमसीए21 प्रणाली के लिए प्लेटफार्म स्थिर होने तक अतिरिक्त फीस हटाने की अनुमति देने के संबंध में पक्षकारों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों को देखते हुए इस मंत्रालय ने 25.03.2016 से 30.04.2016 के बीच कंपनियों द्वारा फाइलिंग के लिए अपेक्षित ई-प्ररूप पर दी जाने वाली अतिरिक्त फीस में एक बार छूट दी है और पक्षकारों को यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे अपेक्षित ई-प्ररूप 10.05.2016 के बाद फाइल किए जाते हैं तो यह छूट नहीं दी जाएगी। (सामान्य परिपत्र संख्या 03/2016, दिनांक 12.04.2016)

(ii) इस मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि संशोधित लेखांकन मानक अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखांकन अवधि के लिए लेखा तैयार करने के लिए लागू होंगे। संशोधित मानक दिनांक 30.03.2016 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए थे। (सामान्य परिपत्र संख्या 04/2016, दिनांक 27.04.2016)